

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

// विविध-आदेश //

क्रमांक.....103...../
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 12/04/2025

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कॉलम नं. 2 में दर्शित न्यायालयों से कॉलम नं. 3 में दर्शित सूची अनुसार सिविल प्रकरणों को वापस किया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नं. 04 में दर्शित न्यायालय में अंतरित किये जाते हैं :-

क्र.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई	प्रकरणों का प्रकार एवं सूची क्रमांक	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है
1	2	3	4
1	तृतीय जिला न्यायाधीश रीवा	RCS-A No. 06 to 20	17 वें जिला न्यायाधीश रीवा
2	पंचम जिला न्यायाधीश रीवा	RSC HM No. 01 to 50	
3	अष्टम जिला न्यायाधीश रीवा	1. EX-LA No. 01 to 30 2. RCA No. 01 to 10	
4	10 वें जिला न्यायाधीश रीवा	MACC No. 01 to 60	
5	11 वें जिला न्यायाधीश रीवा	RCA No. 01 to 10	

Sd/-

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक1870...../
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 12/04/2025

प्रतिलिपि:-

1. द्वितीय/पंचम/अष्टम/10वें/11 वे, जिला न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)।

2. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।

✓ 3. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Sd/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)